

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से निवृत्त  
होने से संबंधित है, अर्थात् उन्हें अज्ञात की जाती है कि वे भारत की निजा निवृत्त  
की-शेक के कर्ता न हों और वे भारत-बाहरी हैं, और उन्हें हर तरह की ऐसी सहायता  
नहीं प्रदान की जायेगी जो निवृत्त करने में आवश्यक है।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUEST IN THE NAME OF  
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM  
IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY  
WITHOUT LET OR HINDERANCE AND TO AFFORD HIM OR HER,  
EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE  
MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से

BY ORDER OF THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF INDIA



*(Handwritten signature in green ink)*

रु. रुबी / A. RUBI  
अधीन / SUPERINTENDENT  
भारत गणराज्य / PASSPORT OFFICE  
कोम्बटोर / COMBATOR-641 018

भारत गणराज्य  
REPUBLIC OF INDIA



पासपोर्ट  
PASSPORT







पुस्तक संख्या

दिनांक में एवं बने जाने वाले भारतीय नागरिकों को सहाय्य दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/कंसुल में अपना पंजीकरण करावें।

यह पंजीकरण भारत सरकार की सहाय्य के बारे में किसी भारतीय मिशन/कंसुल से अधिकारी से इसके प्रकार की याचिका की जा सकती है। इस पंजीकरण के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

यह पंजीकरण एक बार के लिए ही मान्य है। यह पंजीकरण भारत सरकार या उसके द्वारा जारी किया जा सकता है। इस पंजीकरण के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

पंजीकरण प्राप्त होने पर ही जाने, बसने, आने या अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए पर अनुमति प्रदान करने में सक्षम है। पंजीकरण प्राप्त होने पर ही जाने, बसने, आने या अंतराष्ट्रीय यात्रा के लिए पर अनुमति प्रदान करने में सक्षम है।

**REGISTRATION**

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

**CAUTION**

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

